भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1450

04 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

केरल में धान के किसानों का संकट

1450. एडवोकेट अदूर प्रकाश:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को फसल खरीद संबंधी मुद्दों और भुगतान में विलंब के कारण केरल में धान उत्पादक किसानों के संघर्ष की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को धान की खरीद के मुद्दों का समाधान करने के लिए केरल राज्य से कोई अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान धान की खरीद के लिए केरल को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार संकटग्रस्त किसानों की सहायता के लिए राज्य को कोई विशेष सहायता देने पर विचार करेगी; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ड़): केरल एक विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) राज्य है जहाँ खरीद कार्य राज्य सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा किया जाता है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के भुगतान का दायित्व राज्य सरकार का है।

भारत सरकार द्वारा केरल राज्य सरकार को ये आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं कि किसानों को एमएसपी का भुगतान विशेषत: खरीद रसीद जारी होने के 48 घंटे के अंदर किया जाए और किसी भी स्थिति में 7 दिनों से अधिक समय नहीं लगना चाहिए।

...2/-

डेफिसिट डीसीपी राज्य होने के कारण, केरल सरकार द्वारा खरीदा गया खाद्यान्न राज्य के अंदर ही उपभोग कर लिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों को खाद्यान्न की खरीद और वितरण पर किए गए व्यय (एमएसपी और अन्य आकस्मिक व्यय सहित) की प्रतिपूर्ति की जाती है।

भारत सरकार और केरल सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) के संगत प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार खाद्य सब्सिडी जारी करती है, जिसमें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के तहत खाद्यान्न वितरण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत तिमाही दावों के आधार पर खाद्य सब्सिडी जारी करने का प्रावधान है। विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान खाद्य सब्सिडी के लिए केरल राज्य सरकार को जारी की गई धनराशि का विवरण इस प्रकार है

वित्तीय वर्ष	जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में)
2021-22	1777.86
2022-23	1544.89
2023-24	1151.85
2024-25 (31.10.2024 तक)	369.86

*****